

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक.....

दिनांक,.....

05/स० विविध (आओ बिहार) :-10/2012

प्रेषक,

उप सचिव  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,  
उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना।

विषय:- "आओ बिहार" योजनान्तर्गत भूधारियों द्वारा स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र वेबसाईट पर डालने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री डॉ० ब्रज मोहन मंडल, ग्राम-लालूचक, पोस्ट-चम्पानगर, थाना- नाथनगर, जिला-भागलपुर से प्राप्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। कृपया "आओ बिहार" योजनान्तर्गत भूधारियों द्वारा स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन को बियाडा के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... 827 /पटना, दिनांक 24/02/2013.....

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को श्री डॉ० ब्रज मोहन मंडल, ग्राम-लालूचक, पोस्ट-चम्पानगर, थाना- नाथनगर, जिला-भागलपुर से प्राप्त पत्र की छायाप्रति उद्योग विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न है।

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना।

विषय :-

4 जनवरी 2015 के दैनिक जागरण भागलपुर (राज्यधानी जागरण) पृष्ठ संख्या 11 में प्रकाशित समाचार के आलोक में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि मेरे पास 1103.98 एकड़ भागलपुर जिला में उपलब्ध है, सब जमीन एक ही जगह है। जिसे मैं कम्पनियों को सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराने की स्वेच्छा से तैयार है। सारा हकीमत का कागजात उपलब्ध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कृच्छक कम्पनियों को जमीन उपलब्ध कराने का माध्यम से करें।

जमीन का विवरण नीचे दे रहा हूँ।

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
तीनटंगा दियारा	3454	8073 8080 8073 8092 8100 10780	1103.98 एकड़

अनुलग्नक :- यथोपरि

4 जनवरी 2015  
दैनिक जागरण की छायाप्रति।

आपका विश्वासी

*Braj Mohan Mandal*  
2. 2. 2015.

(डॉ ब्रज मोहन मंडल)

पिता- स्व० डॉ० शशि

भूषण मंडल स्वतंत्रता सेनानी

ग्राम- लालूचक

पोस्ट- चम्पानगर

थाना- नाथनगर

जिला- भागलपुर

मो० 8804393113 / 7543817970

182/1DL  
6/2/15

437/55  
6-2-15

72  
05/02/15

179  
10/2/15

अनिल जो माई बन्ने ने बताया कि किऊल जक्शन बाद उन्होंने अगुलाया कर दी।

21/11/2015 11:00 AM

# जमीन न मिलने से बिहार से लौट रही कंपनियां

जागरण संवाददाता, पटना : जमीन नहीं मिलने के कारण बिहार से कंपनियां लौट रही हैं। संचुरी, नेस्ले जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां भी इनमें शामिल हैं। आइटीसी भी जमीन खोज रही है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सभी जिलों में 500 से 1000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने का सुझाव राज्य सरकार को दिया गया था, अब तक यह आकार नहीं ले पाया है। इसका तो नहीं था, लेकिन शनिवार को बीआइए अध्यक्ष अरुण अग्रवाल की जुवान फिसल गई। दरअसल, वे बीआइए की ओर से दिए गए सुझावों पर सरकार की सकारात्मक पहल पर बोल रहे थे। बीच-बीच में उन मुद्दों को भी उठा रहे थे, जिन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। कहा कि पिछले साल इंडस्ट्रीयल कैबिनेट का सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री की पहल के बाद गठन भी हुआ। विजली सुधार का सुझाव दिया गया। 1000 की जगह अब 3000 गंगावाट विजली पैदा हो रही है। इंडस्ट्रीयल पॉलिसी में थोड़ा बक्त लगा, पर इसका भी संशोधित रूप पेश किया गया। हालांकि, बीआइए पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। नृदियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। लैंड बैंक, सरकार की खरीद नीति, थ्रस्ट एरिया पॉलिसी, बिल्डिंग बाइलॉज से जुड़ी समस्याएं अब भी उद्यमियों को परेशान कर रही हैं। सरकार की ओर से छोटे उद्यमियों के उत्पादों की भी खरीदारी नियमानुसार होनी चाहिए। पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीति की जरूरत है। इन क्षेत्रों में कचेडों रुपये के निवेश की संभावनाएं हैं। बिल्डिंग बाइलॉज को हरी झंडी मिलने के बावजूद पटना नगर

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सुझावों को अहमियत दे सरकार

कई मुद्दों को रखा गया है लटकता कर, कुछ पर हुई है सकारात्मक पहल भी

निगम प्लानिंग रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे स्थिति पूर्ववत् ही है। पुराने बाइलॉज के आधार पर निर्मित परियोजनाओं पर विचलित का निगरानी में मुकदमा खर्च हुआ है। इससे सभी परियोजनाएं रुक गई हैं। इससे बैंक, बिल्डर के साथ ही फ्लैटों की बुकिंग करने वाले लोग भी फंस गए हैं। हमारी मांग है कि अमेस्टी स्कीम के तहत ऐसी परियोजनाओं को राहत दी जाए। जमीन एक बड़ी समस्या है। जमीन के बगैर उद्योग नहीं लगाए जा सकते। बियाडा के पास जमीन नहीं है। ऐसे में हर जिले में लैंड बैंक की जरूरत है। इसके नहीं रहने के कारण ही कंपनियां बिहार से लौट रही हैं। जनता के सुझावों के आलोक में मास्टर प्लान को सरकार अंतिम रूप देने में जूटी है। इससे उद्योगों को भी फायदा होगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद फिलहाल पटना का मास्टर प्लान नहीं होने के कारण प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दे रहा है। उन्होंने केन्द्र में राज्य की लटकती परियोजनाओं पर भी अविलंब निर्णय लेने की मांग की। कहा कि गांधी सेतु, दीधा पुल और मुंगेर पुल पर व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होना चाहिए।

21/11/2015 11:00 AM